न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 759/2025

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
लक्ष्मी पुत्री बागिया उर्फ बागाराम जाति सरगरा, निवासी–मोगडा, तहसील–लूणी जिला जोधपुर हाल– निवासी–मोतीनगर, सांगरिया बाईपास, लूणी जोधपुर।		1. सुरेश पुत्र बागिया उर्फ बागाराम 2. मोहनीदेवी पत्नी बागिया जातिगण सरगरा, निवासी–मोगडा, तहसील–लूणी जिला जोधपुर 3. सरपंच, ग्राम पंचायत मोगड़ा कला, तहसील, लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.8.2025 जो उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 12/2023 अनवान श्रीमती लक्ष्मी बनाम सुरेश वगैराह में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1. श्री ईश्वरसिंह, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से।
2. श्री हर्षिता गहलोत, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ओर से।
3. रेस्पो0 संख्या 3 बावजूद तामीली के अनुपस्थित है।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः 2 जून, 2026

1. अपील पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी के समक्ष प्रथम राजस्व अपील संख्या 12/2023 अनवान श्रीमती लक्ष्मी बनाम सुरेश वगैराह प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.8.2025 के द्वारा उक्त प्रथम अपील को अस्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील दिनांक 10.10.2025 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलार्थीया ने उपरोक्त एक अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए अपीलाधीन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

. संख्या 669 जो दिनांक 5.3.1997 को ग्राम पंचायत, सरपंच, मोगडा कला के द्वारा स्वीकृत किया गया था, को निरस्त करने का निवेदन किया। उक्त नामा. संख्या 669 जो कि अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या के पिता बागाराम के फौत होने पर रेस्पो. संख्या 1 व 2 के नाम स्वीकृत किया गया है, जबकि अपीलार्थीया भी मृतक खातेदार बागाराम की जायन्दा पुत्री है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पो. संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ और अपील व धारा 05 मियाद अधिनियम का जवाब पेश किया गया।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा प्रथम अपील के विचारण के दौरान यह कथन भी किया गया था कि अपीलान्ट को अपीलाधीन नामा0 की प्रथम बार जानकारी होते ही नामा0 की नकल प्राप्त करते हुए उसी समय मियाद अवधि में प्रथम अपील पेश की जा चुकी है जिसे स्वीकार कर अपीलाधीन नामा0 संख्या 669 दिनांक 5.3.1997 को निरस्त करते हुए खातेदार बागिया के सभी वारिसानों की जॉच कर पुनः नये सिरे से नामा0 स्वीकृत किया जावें। उक्त प्रथम अपील में रेस्पो0 संख्या 1 के 2 के अधिवक्ता ने अपील को अस्वीकार किये जाने हेतु अपनी बहस में यह कथन किया था कि पूर्व खातेदार बागाराम के फौत होने पर उक्त फौतेदगी नामा. संख्या 669 को पूर्ण रूप से भरा जाकर ग्राम पंचायत, मोगडा कला के सरपंच के द्वारा सही एवं विधि के अनुसार स्वीकृत किया गया है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने यह भी विरोध किया था कि अपीलान्ट के द्वारा अपील के संलग्न जो मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा उसमें जो तथ्य अंकित किये है, उनको स्वीकार किये जाने बाबत कोई स्पष्ट कारण नहीं बताये गये है, ऐसे में प्रस्तुत प्रथम अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज की जावे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षकारान की बहस सुने जाने के उपरान्त अपने अपीलधीन आदेश दिनांक 11.8.2025 को अपील को मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज कर दी, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतर न्यायालयों के निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना की गई है।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि अपीलान्ट के पिता बागाराम के देहान्त होने पर फौतेदगी नामा0 संख्या 669 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील पेश किये जाने में विलम्ब इसलिये हुआ है कि अपीलार्थी एक अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला है एवं अनपढ है, जिसके कारण उसको कानूनी एवं नियमों की कोई जानकारी नहीं रही है और उनके पिता के इन्तकाल के बाद उन्हें उनके भाई एवं उनकी माता ने उनके पिता की भूमि की खातेदारी में अपना

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दर्ज करवा लिये जाने का उसको भान तक नहीं कराया और बाले–बाले ही पटवारी हल्का से मिलीभगती करते हुए अपने नाम से नामा0 दर्ज करवाते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच से स्वीकृत करवा लिया। सरपंच के द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थीया को कोई नोटिस नहीं दिया और न ही उनसे इस बाबत कोई सहमति ली गई थी। अपीलार्थी को उनके परिवार वालों ने यही बताया जाता रहा कि उनका भी उनके पिता की भूमि में हक–हिस्सा दिया हुआ है। जिसके कारण अपीलार्थी ने उनकी बातों पर एक परिवार का सदस्य होने के नाते विश्वास रखती रही। परन्तु उनके भाई व उनकी माता ने अपीलार्थी से इस बात को छुपाकर रखा गया और अपीलार्थी के हक–हिस्से का गैर कानूनी रूप से हस्तान्तरण करते हुए दोनों ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। इस कारण से ऐसा स्वीकृत नामान्तकरण एब–इन–इश्यू वोईड की श्रेणी में आता है और अपीलार्थीया के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे ऐसे आदेश को चुनोती दिये जाने में मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील को अन्दर मियाद नहीं होने के आधार पर खारिज कर दी गई। जबकि रेवेन्यू बोर्ड, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय नजीरों के स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किये है कि अगर मेरिट पर केस सही बनता है तो मियाद जैसे तकनीकी बिन्दू पर अपील खारिज नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर भी कोई गौर नहीं किया और अपीलार्थी की प्रथम अपील को खारिज कर दिया।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि अपीलार्थी पूर्व खातेदार बागाराम की जीवित पुत्री है तथा उनकी हिन्दू उत्ताध्किार अधीनियम की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है जिनका नाम भी उनके पिता बागाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामा0 में दर्ज किया जाना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिजनिंग व फाईडिंग देते हुए मात्र मियाद बिन्दू पर अपील को खारिज कर दिया है। किसी खातेदार की मृत्यु होने पर फौतेदगी के नामा0 की परत पर पटवारी हल्का द्वारा लैण्ड रिकार्ड रूल्स 119 के तहत इन्द्राज किया जायेगा परन्तु उक्त विवादित नामा0 में पटवारी हल्का ने मृतक खातेदार बागाराम के वारिसानों की जॉच नहीं की है। मृतक खातेदार के उनकी पत्नी के अलावा दो पुत्र व एक पुत्री भी है। भू अभिलेख निरीक्षक ने भी लैण्ड रिकार्ड रूल्स 121 (2) के तहत मृतक खातेदार के वारिसानों की सही जॉच नहीं की गई और लैण्ड रिकार्ड रूल्स 121 (3) व (4) के तहत ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा नामा0 को स्वीकृत करते समय वारिसानों की कोई जॉच नहीं की है और न ही कोई साक्ष्य ली है तथा न ही उत्तराधिकारियों का सजरा खानदान अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

...ओं को नजरअंदाज करते हुए मात्र अपीलान्ट की प्रथम अपील को मियाद बाहर पेश होना ...ते हुए खारिज कर दी है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन भी किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने आदेशो में मृतक खातेदार की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में उनके सभी विधिक वारिसान का हक–हिस्सा बराबर रूप से दिये जाने के निर्देश दिये गये है। अपीलार्थीया मृतक खातेदार बागाराम की जायन्दा पुत्री है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान होने तथा एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बेटियों का हक–हिस्सा जन्म से अपने पिता की भूमि में निहित होना माना है। ऐसे में ग्राम पंचायत के द्वारा जो नामा0 उनके भाई व उनकी माता के नाम से स्वीकृत किया गया है, वह निरस्त योग्य है। साथ ही उपलब्ध अधिकारी, लूणी के द्वार अपीलार्थी की प्रथम को अस्वीकार किया गया है, वह भी निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार किया जावें तथा उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.8.2025 एवं ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 669 दिनांक 5.3.1997 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जावे कि वे मृतक खातेदार बागिया उर्फ बागाराम के सभी उत्तराधिकारियों की सही जॉच कर उन्हें अपना पक्ष रखे जाने एवं सुनवाई का मौका देकर पुनः नये सिरे से नामा0 स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलय के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.8.2025 पारित करते हुए अपीलार्थी की प्रथम अपील को मियाद बाहर होना मानते हुए अस्वीकार किया गया है वो पूर्ण रूप से एवं विधि के अनुकूल होने से यथावत रखे जाने योग्य है और अपीलान्ट की यह द्वितीय अपील भी इसी आधार पर खारिज की जावें।

8. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया गया कि कोई अपील पेश होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब से होने के सम्बन्ध में विलम्ब के समय के प्रत्येक दिवस का ठोस कारण दर्शाना होता है और न्यायालय के उक्त विलम्ब के कारणों से सन्तुष्ट होने पर ही अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जा सकता है जबकि अपीलीय प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन नामा0 को स्वीकृत करने से पूर्व मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियों की जॉच नहीं होने से व सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाने का मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है और अंकित किया कि प्रार्थीनी पटवारी हल्का के पास अपनी खातेदारी भूमि का ऋण प्राप्त करने के लिये दिनांक 11.01.2025 जमाबन्दी की नकल लेने के लिये तब पटवारी हल्का से राजस्व

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ई की जानकारी बताई और तब नामा0 की नकल प्राप्त की गई और नामा0 में उनका नाम नहीं होना पाया गया, इस प्रकार के तथ्य लिखते हुए अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया है।

9. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया गया कि अपीलार्थी ने यह कहीं नहीं बताया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उनके पिता के देहान्त स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 669 दिनांक 5.3.1997 के स्वीकृत होने के 28 वर्षो की लम्बी अवधि में वादग्रस्त भूमि की किसी प्रकार से जानकारी नहीं हुई हो, ऐसा मानने योग्य नहीं हो सकता है, जबकि अपीलाधीन नामा0 में उनकी माता का नाम भी दर्ज हो रखा है, तो उनकी माता को राजस्व रिकार्ड की जानकारी अवश्य ही रही है और परिवार को ऐसी जानकारी अवश्य रहती है तो ऐसे में नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी को जानकारी नहीं हुई हो।

10. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील के संलग्न पेश मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों व कारणों यानि प्रथम अपील पेश करने में हुई देरी के स्पष्ट कारणों से अवगत नहीं कराये जाने के आधार अपील को अन्दर मियाद नहीं माना जा सकता है और अपीलाधीन नामा0 संख्या 669 को निरस्त किया जाना कानूनन उचित नहीं माना और अपीलान्ट की प्रथम अपील को अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.8.2025 को खारिज कर दी गई है, वो पूर्णतः विधि के अनुकूल होने से यथावत रखे जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील आधारहीन व सारहीन होने से खारिज की जावें।

11. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपील पर की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया एवं प्रस्तुत अपील इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 669 दिनांक 5.3.1997 को निरस्त कराये जाने हेतु इस आधार पर प्रथम अपील के जरिये चुनौती दी गई है कि वे मृतक बागाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा उनके देहान्त उपरान्त उनकी खातेदारी में दर्ज भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत समान रूप से हक–हिस्सा पाने की अधिकारी है। अपीलार्थी की ओर से प्रथम अपील पेश किये जाने में विलम्ब इसलिये हुआ है कि अपीलार्थी एक अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला है एवं अनपढ होने का उल्लेख किया है, जिसके कारण उसको कानूनी एवं नियमों की कोई जानकारी अवश्य ही नहीं रही है। अपीलाधीन नामा0 में अपीलार्थीया के भाई एवं उनकी माता का नाम भी दर्ज होना प्रतीत होता है जिससे परिवार में इस प्रकार से राजस्व रिकार्ड की जानकारी एक दूसरे सदस्य को होना नहीं माना जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतर न्यायालयों के द्वारा भी वाद की विषयवस्तु

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

गुणावगुण पर बल रखती है तो मियाद जैसे तकनीकी बिन्दू के आधार पर किसी पक्षकार की अपील खारिज नहीं की जा सकती है। न्यायालय की यह मंशा यह रहनी चाहिये कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए पक्षकार के द्वारा चाहा गया अनुतोष कानूनी तौर पर प्रबल रहता है तो उसे गुणावगुण पर ही निर्णित करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीया की अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज किये जाने बाबत अपने अपीलीय निर्णय के निश्कर्ष में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दर्शाया है और न ही अपीलाधीन स्वीकृत नामा0 को स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समग्र विवेचन व विश्लेषण किया गया है। जबकि अपीलार्थीया की अपील में उक्त नामा0 को स्वीकृत किये जाने से पूर्व राज0 भू राजस्व अधिनियम एवं राज0 लैण्ड रिकार्ड रूल्स के प्रावधानों की अक्षरतः पालना नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है जैसे कि मृतक खातेदार के समस्त विधिक वारिसान की जॉच किया जाना, उन्हें सुनवाई का तथा अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना इत्यादित राजस्व कार्मिकों व ग्राम पंचायत के द्वारा निष्पादित नहीं की गई है।

12. इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों व अपीलार्थीया के अधिवक्ता के द्वारा दर्शाये गये तथ्यों के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपीलार्थीया की अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.8.2025 एवं ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 669 दिनांक 5.3.1997 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लूणी को दिशा–निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाये कि वे मृतक खातेदार बागिया उर्फ बागाराम के सभी उत्तराधिकारियों की सही जॉच कर उन्हें अपना पक्ष रखे जाने एवं सुनवाई का मौका देकर पुनः नये सिरे से नामा0 स्वीकृत करने के आदेश पारित करें।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.8.2025 एवं ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 669 दिनांक 5.3.1997 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लूणी को दिशा–निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे मृतक खातेदार बागिया उर्फ बागाराम के सभी उत्तराधिकारियों की सही जॉच कर उन्हें अपना पक्ष रखे जाने एवं सुनवाई का मौका देकर पुनः नये सिरे से नामा0 स्वीकृत करने के आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 2 जून, 2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

2/6/26

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर